UPRN010042082022

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं.13/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कानपुर देहात।

जमानत आवेदन संख्या–1902/2022

नरेश पुत्र नरेन्द्र उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम जयरामपुर, थाना व कोतवाली कालपी, जनपद जालौन उ०प्र० ......आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उ०प्र०राज्य। ......अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या–261/2020
एस०टी०सं0–1459/2021
धारा–363,366,376(3)भा०दं०सं०
धारा–3/4 पाक्सो एक्ट
थाना मूसानगर, कानपुर देहात।

दि.–02.09.2022

आवेदक/अभियुक्त की ओर से वाद अपराध संख्या–261/2020 धारा 363,366,376(3) भा०दं०सं० एवं धारा–3/4 पाक्सो एक्ट, थाना मूसानगर, कानपुर देहात के अन्तर्गत यह जमानत आवेदन पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत मामले में अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा धीरेन्द्र के द्वारा इस आशय की तहरीर थाना मूसानगर, कानपुर देहात में दिनांक–04.12.2020 को दी गयी कि दिनांक–28.11.2020 को सुबह नौ बजे उसी पुत्री उम्र 16 वर्ष, जो कि सी०पी०क०उ० इण्टर कालेज में पढ़ने के लिये गयी थी, जो कि कक्षा–09 की छात्रा थी, जिसे घर आने के लिए 04.30 बजे तक इंतजार किया गया, इसके बाद खोजबीन की गयी तो पता चला कि उसकी पुत्री को एक लड़का नरेश बहला फुसलाकर भगा ले गया है, फिर पता लगाया तब पता नहीं लगने पर वह रिपोर्ट लिखाने आया है। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जाये। उक्त के आधार पर संबंधित थाने में अभियुक्त नरेश के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अं०धारा– 363,366 भा०दं०सं० पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना पीड़िता के बयान के आधार पर प्रकरण में धारा–376(3)भा०दं०सं० एवं धारा–3/4 पाक्सो एक्टी की बढ़ोत्तरी की गयी तथा विवेचनोपरान्त विवेचक के द्वारा अभियुक्त नरेश के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर धारा –363,366,376(3) भा०दं०सं० एवं धारा–3/4 पाक्सो एक्ट में विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित हो चुका है।

जमानत आवेदन प्रस्तुत कर आवेदक अभियुक्त द्वारा स्वयं को दौरान मुकदमा उचित धनराशि की जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। अभिकिथित किया गया है कि घटना फर्जी व मनगढ़न्त है। पीड़िता की आयु 19 वर्ष है। पीड़िता ने नरेश से शादी कर ली है। चिकित्सीय रिपोर्ट में पीड़िता की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गयी है। अभियुक्त दिनांक–09.10.2021 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उसका उसका प्रथम जमानत आवेदन है। जमानत दिये जाने की याचना की गयी।

वादी को नोटिस निर्गत की गयी। वादी न तो न्यायालय हाजिर आया और न ही कोई आपत्ति दाखिल की। पत्रावली पर सी०डब्लू०सी० की आख्या उपलब्ध है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) की ओर से जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन अनुसार अभियुक्त नरेश वादी मुकदमा की पुत्री पीड़िता उम्र 16 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। धारा–161 दं०प्र०सं० में पीड़िता ने कथन किया कि उसने नरेश से शादी कर ली है और पति पत्नी की तरह साथ रहते है। धारा–164 दं०प्र०सं० में पीड़िता ने नरेश के साथ विवाह किये जाने का कथन किया है। डा० ए०पी०के०यू० इण्टर कालेज, मूसानगर, कानपुर देहात के द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र दिनांकित–07.10.2021 के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 22.10.2006 है। घटना दिनांक– 28.11.2020 की है। इस प्रकार पीड़िता की आयु घटना के समय 18 वर्ष से कम थी। अभियुक्त नरेश के द्वारा बाल पीड़िता को उसके विधिक संरक्षक की संरक्षकता से बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ शादी करके पति पत्नी के संबंध स्थापित किये गये है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति, गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त नरेश का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-02.09.2022

(शैलेन्द्र कुमार वर्मा)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.13/
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कानपुर देहात।

Digitally signed by Shailendra Kumar Verma
Date: 2022.09.02 17:33:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court